कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार (म.प्र.)

वाहन नीलाम विज्ञप्ति

क्रमांक : 01 /तीन–1–4/2002 धार, दिनांक : 14/01/2021

सर्वसाधारण को इस नीलामी विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार (म.प्र.) के आधिपत्य के निम्नानुसार अनुपयोगी शासकीय वाहनों को (जहां है, जैसी स्थिति में है) को दिनांक : 25 जनवरी, 2021 को प्रातः 11:00 बजे खुली निविदा के माध्यम से नीलाम किया जाना है :–

क्रमांक	वाहन का प्रकार	वाहन क्रमांक	मॉडल	निष्प्रयोजित राशि
1	2	3	4	5
1.	एम्बेसडर कार	MP-02-6295	2002	28,000/-
2.	एम्बेसडर कार	MP-02-6296	2002	26,000/-

उक्त नीलामी में "जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार" के नाम से देय राशि रू. 5,000/– का बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के रूप में जमा कर, भाग लिया जा सकता है। उपरोक्तानुसार वाहनों की खुली निविदा के माध्यम से नीलामी हेतु निविदा की शर्तें निम्नानुसार हैं :–

निविदा की शर्तें

1. शासकीय वाहन एम्बेसडर कार क्रमांक : MP-02-6295 की न्यूनतम ऑफसेट वेल्य रू. 28,000/– तथा शासकीय वाहन एम्बेसडर कार क्रमांक : MP-02-6296 की न्यूनतम ऑफसेट वेल्य रू. 26,000/– (शासकीय बोली) नियत है।

2. उपरोक्त अनुपयोगी/अपलेखित शासकीय वाहनों की नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने हेतु अमानत राशि के रूप में रू. 5,000/– (शब्दों में : पांच हजार रूपए मात्र) का बैंक ड्राफ्ट जो "जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार" के नाम से देय हो, सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने पर, नीलामी में भाग लेने/बोली लगाने की पात्रता होगी।

3. अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट नीलामी की समाप्ति पर, असफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को वापस लौटाया जावेगा तथा सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति/संस्था को उनके द्वारा लगायी गई बोली/स्वीकृत की गई पूरी राशि जमा करवाने के पश्चात् लौटाया जावेगा।

निरन्तर..........2

4. सक्षम अधिकारी को किसी भी बोली को बिना कारण बताये, पूर्ण रूप से स्वीकार करने/अस्वीकार करने/आंशिक रूप से स्वीकार करने/निरस्त करने तथा प्राप्त कम/अधिकतम बोली की राशि को स्वीकृत करने/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार सर्वथा "नीलाम समिति" कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को प्राप्त होगा।

5. नीलामी के संबंध में बोली या विवाद के संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होगा।

6. अधिकतम बोली की राशि की स्वीकृति नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित होने के पश्चात् अनुपयोगी शासकीय वाहन को क्रेता को प्रदान किया जावेगा।

7. अधिकतम बोलीकर्ता को स्वीकृति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 07 (सात) दिवस के अन्दर बोली की सम्पूर्ण राशि बैंक ड्राफ्ट जो "जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार" के नाम देय हो, जमा करवाकर वाहन को स्वयं के व्यय पर उठाना अनिवार्य होगा अन्यथा अमानत राशि शासन के पक्ष में राजसात की जावेगी।

8 संबंधित वाहन भौतिक निरीक्षण हेतु जिला न्यायालय परिसर, धार में उपलब्ध है इस हेतु जिला नाजिर/नायब नाजिर से कार्यालयीन दिनांक/समय में सम्पर्क किया जा सकता है।

9. बोलीकर्ताओं द्वारा नीलामी में उपस्थित होकर वाहन को क्रय करने हेतु बोली लगाने की स्थिति में, नीलामी संबंधी सम्पूर्ण शर्तें स्वीकार कर ली गयी हैं, ऐसा माना जावेगा।

10. अनुपयोगी शासकीय शासकीय वाहन को क्रय करने के पश्चात् क्रेता को उक्त वाहन को स्वयं के व्यय पर यथास्थिति में जिला न्यायालय परिसर, धार से अपने आधिपत्य में लेकर जाना होगा।

11. अनुपयोगी शासकीय वाहन विक्रय के पश्चात् कार्यालय द्वारा आवश्यक प्रमाण—पत्र जारी करने पर, उक्त शासकीय वाहन का नियमानुसार शासकीय पंजीयन विलोपित करने एवं क्रेता के नाम से पंजीयन एवं बीमा कराये जाने की सम्पूर्ण जवाबदारी क्रेता की होगी।

12. वाहन कमांक, चैसिस नम्बर, इंजन नम्बर निविदाकार नीलामी स्थान पर ही मिलान कर लेवे। इस संबंध में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति क्रय संबंधी कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत मान्य नहीं की जावेगी।

13. उपरोक्त नियमों की शर्तों का शिथिलीकरण स्थापना पर गठित वाहन नीलामी समिति के पास सुरक्षित रहेगा।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
धार (म.प्र.)